पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की गुरुवार, दिनांक 05.06.2025 को मध्याह्न 12.00 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

01. **विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 21.04.2025 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (पृष्ठ 01 से 06 तक)**
टीपः कार्यवृत्त संलग्न है।

02. **विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 21.04.2025 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।**

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र–संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी** संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
i	श्री बीरेन्द्र दीपक शिक्षा महाविद्यालय, जामगांव, जिला–गरियाबंद	B.A.-III Year-(F.C., Sociology, Political Sc., Psychology)	60	2025–26	1. डॉ. निस्तर कुजुर, समाजशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. राजेश दुबे, प्राचार्य, शास. महा. भाटागांव 3. डॉ. सुभाष चंद्राकर, प्राध्यापक, दुर्गा महा. रायपुर

निरीक्षण तिथि : 22.05.2025

1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – **12.09.2021**
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – **समिति के नाम की भुमि उपलब्ध।**
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – **10 लाख**
4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – **12.09.2021**
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – **संचालन स्वयं के भवन में**
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता – **कुल 10 कमरे**
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता – **N.A.**
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – **N.A.**
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – **05 शिक्षक (पर्याप्त) (2 परिनियम 28 में) शेष के लिए प्रक्रियाधीन**
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – **पुस्तकें क्रय किया जाना प्रस्तावित है।**
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – **प्रसाधन कक्ष, स्टाफ रूम, स्टूडेंट कामन रूम आदि मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध।**

12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? – **शिक्षकों/अन्य की नियुक्ति परिनियम 28 के अंतर्गत किया जाना आवश्यक। नियुक्ति प्रस्ताव/प्रक्रिया विश्वविद्यालय प्रेषित।**
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – **(1) परिनियम 28 में नियुक्ति (शिक्षकों एवं अन्य की) आवश्यक। (2) ग्रंथालय में पुस्तकों की संख्या छात्र– संख्या की दृष्टि से पर्याप्त किंतु संदर्भ ग्रंथ क्रय किया जाना चाहिए।**
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – **(1) परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्ति आवश्यक। (2) स्वीकृत सीट संख्या अनुसार पाठ्यपुस्तकें क्रय किया जाना आवश्यक है।**

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
ii	बी.आई.टी. कॉलेज आफ कॉमर्स साइंस, मैनेजमेंट एण्ड आर्टस, अभनपुर, केंद्री, जिला–रायपुर	B.A.-III Year-(F.C., Sociology, Political Hindi Litt.) B.Com.-III Year	60	2025–26	1. डॉ. एल.एस. गजपाल, समाजशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. राजेश दुबे, प्राचार्य, शास. महा. भाटागांव 3. डॉ. मनोज कुमार मिश्रा, प्राचार्य, विवेकानंद महा. मौदहापारा, रायपुर 4. डॉ. ए.के. उपाध्याय, शास. डी. के. कला एवं वाणिज्य पीजी महा. बलौदाबाजार

निरीक्षण तिथि : 26.04.2025

1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – **संलग्न–1**
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – **संलग्न–2**
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – **संलग्न–3**
4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – **संलग्न–4**
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – **स्वयं के भवन में संचालित है।**
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता – **उपलब्ध (संलग्न–5)**
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता – **लागू नहीं**
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – **लागू नहीं**
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – **वाणिज्य–5/राजनीति विज्ञान–1, समाजशास्त्र 1/हिंदी–1, एक शिक्षक (वाणिज्य) परिनियम 28 में नियुक्त। अन्य विषय में भी परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्ति सुनिश्चित करें। (संलग्न–6)**
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – **ग्रंथपाल कार्यरत। परिनियम 28 में नियुक्ति सुनिश्चित किया जाए। (संलग्न–6)**
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – **अन्य समस्त सुविधाएँ उपलब्ध।**
12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? – **संलग्न–I एवं II (क्रमांक 571/अका./सं.वृ./2023, दिनांक 01.09.2023 संलग्न–3)**
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – **पृथकतः नहीं।**
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – **क्र.09 एवं 10 के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम 28 के अंतर्गत किए जाने की शर्त के साथ संबद्वता दी जा सकती है।**

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
iii.	सौ. कुसुम ताई दाबके विधि महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर	LL.B.- Ist Year	320	2025–26	1. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, प्रबंध संस्थान, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
		LL.B.- IInd Year	320	2026–27	2. डॉ. विनीता अग्रवाल, शास. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महा. रायपुर
		LL.B.- IIIrd Year	320	2027–28	3. डॉ. अलेख कुमार साहू, विधि अ. शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर

निरीक्षण तिथि : 05.05.2025

1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – **स्थायी**
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – **10,000 वर्ग फुट**
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – **15 लाख**
4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – **22.12.2027**
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – **स्वयं का भवन**
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता – **पर्याप्त**
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता – **उपलब्ध – मूट कोर्ट, लीगल एंड क्लिनिक**
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – **उपलब्ध**
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – **वर्तमान में 7 शिक्षक कार्यरत 1 बी.सी.आई. के मापदण्डों के अनुसार 11 शिक्षकों की और 1 आवश्यक होगी। कुल 18 शिक्षक आवश्यक है।**
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – **पर्याप्त**
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – **उपलब्ध।**
12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? – **पूर्व में स्थायी संबद्धता प्राप्त थी स्थायी संबद्धता के उपरान्त प्रथम बार संबद्धता हेतु निरीक्षण किया गया।**
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – **नियमित प्राचार्य एवं 11 शिक्षक की आवश्यकता है। 5 कम्प्यूटर क्रय किए जाने की आवश्यकता। विषयवार नियमित शिक्षक की आवश्यकता है। परिनियम 28 के तहत नियुक्त शिक्षक एवं प्राचार्य का 7 वा वेतन मान के अनुसार वेतन किया जाय।**
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – **नियमित प्राचार्य, 7 शिक्षकों के अलावा 11 अन्य से संबंधित शिक्षकों की विषयवार आवश्यकता होगी विज्ञापन के माध्यम से भरा जाए। 5 कम्प्यूटर क्रय किए जाने की आवश्यकता है। प्रत्येक विषय से संबंधित एक नियमित शिक्षक की नियुक्ति की आवश्यकता है।**

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
iv	सेंट विसेंट पैलोटी कॉलेज, रायपुर	M.A.- I/II Sem. Psychology	20	2025–26	1. डॉ. प्रभावती शुक्ला, प्राध्यापक, मनोविज्ञान अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. संजय कुमार, प्राध्यापक, कम्प्यूटर साइंस अ.शा. पं.र.शु. वि.वि. रायपुर 3. डॉ. बी.एल. सोनेकर, अर्थशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 4. डॉ. निस्तर कुजुर, समाजशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 5. डॉ. गिरजा शंकर गौतम, मूल विज्ञान केंद्र, पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 6. डॉ. प्रेमलता तिवारी, शास. दू. ब. महिला महा. रायपुर
		M.A.- I/II Sem. Economics	20		
		M.Sc.- I/II Sem. Computer Sc.	20		
		B.A.- I Year (F.C., Sociology, Philosophy, Psychology, History, Political Sc., , Hindi Litt., English Litt.)			

निरीक्षण तिथि : 24.05.2025

1. समिति / संस्था के पंजीयन की वैधता – **वैधता है।**
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – **नहीं**
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – **40,000,00 / –**
4. शासी निकाय के अध्यक्ष / सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – **स्थाई वैधता (2026) तक है।**
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – **है।**
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता – **है।**
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता – **है (75 कम्प्यूटर उपलबध है। प्रयोगशाला की सामग्री उपलब्ध है।)**
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – **है (पर्याप्त उपकरण उपलब्ध है।)**
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता / आवश्यकता – **नियुक्ति कार्य प्रक्रिया में है। वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है।**
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता / आवश्यकता – **नियमित ग्रंथपाल नियुक्त है। पुस्तकों का क्रय आवश्यकता के अनुसार किया गया है।**
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – **ग्रंथालय, पुस्तक, कमरे, छात्रावास, शौचालय, खेलकूद मैदान आदि सुविधाएं पर्याप्त है।**
12. यदि द्वितीय / तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? – **लागू नहीं**
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – **महाविद्यालय में साफ–सफाई भवन आदि की उन्नत व्यवस्था है।**
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके –
    (1) सभी विषयों में परिनियम 28 के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति किया जाए।
    (2) पुस्तकालय में पाठ्यक्रम के अनुसार छात्र संख्या के अनुपात में उच्च्य स्तरीय पुस्तकों का क्रय किया जाए।
    (3) कम्प्यूटर लैब में पाठ्यक्रम अनुसार लायसेंस क्रय किया जाए।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
V	परम आदर्श स्वामी विवेकानंद महावि. कलेक्टर रोड, बलौदाबाजार	B.A.-II- FC-(Hindi & English), Sociology, Economics, Political Sc., Hindi Lit.	60	2025–26	1. डॉ. आर.के. ब्रह्मे, अर्थशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. एल.एस. गजपाल, समाजशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 3. डॉ. राजेश दुबे, प्राचार्य, शास. महा. भाटागांव 4. डॉ. सुभाष चंद्राकर, प्राध्यापक, दुर्गा महा. रायपुर
		B.Com.-II	60		1. डॉ. देवेन्द्र कुमार वर्मा, शास. महा. खरोरा
		B.Sc.Bio.- II Year- Botany, Zoology, Chemistry	60		1. डॉ. कल्लोक कुमार घोष, रसायन अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. कमलेश कुमार शुक्ला, जैवप्रौद्योगिकी अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर

निरीक्षण तिथि : 21.05.2025

1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – **पंजीयन तिथि 26.02.2008**
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – **नहीं है।**
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – **रु. 5.00 लाख**
4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – **वर्ष 2027 तक**
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – **किराये के भवन में संचालित। किरायानामा है।**
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता – **उपलब्ध है।**
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता – **वर्तमान में एक हाल में व्यवस्था है। पाठ्यक्रम के अनुसार रसायन, वनस्पति, तथा Zoology के लिए प्रयोगशाला का उन्नयन आवश्यक है।**
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – **पाठ्यक्रम के अनुसार उपकरण क्रय किया जाना प्रस्तावित है। कुछ उपकरण उपलब्ध है।**
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता –
   बी.ए.– 04 संविदा शिक्षक
   बी.काम. – 02 संविदा शिक्षक
   बी.एस–सी.– 03 संविदा शिक्षक
   धारा–28 के अनुसार शिक्षक की नियुक्ति करना है।
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – **द्वितीय वर्ष के लिए पुस्तक क्रय करना है। पुस्तक क्रय की प्रक्रिया चल रही है।**
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – **कंप्यूटर लैब, गर्ल्स कॉमन रूम, पेयजल व्यवस्था**
12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? – **03 अध्ययन कक्ष बनाये गये। प्रयोगशाला का निर्माण हो रहा है। मूलभूत संरचना की विकास आवश्यक है।**
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – **स्वयं का भवन नहीं है।**
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके –
   (1) धारा–28 के अनुसार सभी विषयों में शिक्षकों की नियुक्ति करना है।
   (2) पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विषयों (IInd year) पुस्तक क्रय करना है।
   (3) तीनों विषयों के लिए अलग–अलग प्रयोगशाला का व्यवस्था करें।
   (4) स्वयं का भवन नहीं है।

<u>स्थायी सम्बद्धता</u>

04. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र–संख्या एवं सत्रानुसार **स्थायी** संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
i	शास. राजीव लोचन स्नातकोत्तर महा. राजिम, जिला–गरियाबंद	M.A.- Political Sc.	30	2025–26	1. डॉ. माया वर्मा, संकायाध्यक्ष, कला संकाय, एवं विभागाध्यक्ष, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान अ. शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. कविता वैष्णव, अध्यक्ष, अध्ययन मंडल, शास. महा. भखारा 3. डॉ. राजेश कुमार दुबे, प्राचार्य, शास. महावि. भाठागांव, रायपुर
		M.A.- Hindi	25		

<u>M.A.- Political Sc.</u>

निरीक्षण तिथि : 02.05.2025

1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – **लागू नहीं**
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – 06.70 हेक्टेयर
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – **लागू नहीं**
4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – **लागू नहीं**
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – **स्वयं का भवन**
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता – **पर्याप्त**
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता – **लागू नहीं**
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – **लागू नहीं**
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – **स्वीकृत पद – 03, कार्यरत – 02, अतिथि प्राध्यापक – 01**
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – **ग्रंथपाल नियमित कार्यरत, पुस्तकें पर्याप्त**
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – **अध्यापन कक्ष, छात्रों के लिये पृथक कक्ष, प्रसाधन कक्ष, विभागवार पृथक कक्ष, क्रीड़ा मैदान व सामग्री आदि की व्यवस्था है।**
12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ?– **पूर्व में निरीक्षण कार्य किया जा चुका है।**
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – **पृथकता नहीं**
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – **1. राजनीति विज्ञान विषय में 01 सहायक प्राध्यापक नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करना आवश्यक है।**

<u>M.A.- Hindi</u>

निरीक्षण तिथि : 02.05.2025

1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – **लागू नहीं**
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – **06.70 हेक्टेयर**
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – **लागू नहीं**
4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – **लागू नहीं**
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – **स्वयं का भवन**
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता – **पर्याप्त**

	7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता – **लागू नहीं** 8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – **लागू नहीं** 9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – **स्वीकृत पद – 02, कार्यरत नियमित – 02, जनभागीदारी मद से – 01** 10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – **ग्रंथपाल नियमित कार्यरत, पुस्तकें पर्याप्त** 11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – **अध्यापन कक्ष, छात्रों के लिये पृथक कक्ष, प्रसाधन कक्ष, विभागवार पृथक कक्ष, क्रीड़ा मैदान व सामग्री आदि की व्यवस्था है।** 12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ?– **पूर्व में निरीक्षण कार्य किया जा चुका है।** 13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – **पृथकतः नहीं।** 14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके – **1. हिंदी विषय में 01 प्राध्यापक व 01 सहायक प्राध्यापक नियुक्ति की प्रक्रिया आरंभ करना आवश्यक है।**

05. ATKT उत्तीर्ण (सभी पाठ्यक्रमों के लिए) छात्रों के उपाधि में ATKT Seal (मोहर) का उपयोग नहीं किये संबंध में विचार करना।

टीपः ATKT उत्तीर्ण छात्रों के उपाधि में निम्न ATKT Seal (मोहर) का उपयोग किया जाता रहा है –

Since Applicant has cleared backlog
------------------ Exam. --------------
Vide Roll No.----------- Year --------
he is eligible for award of the afore-
said degree

उपरोक्त ATKT Seal (मोहर) का उपयोग किए जाने के संबंध में संकायाध्यक्ष, प्रबंध संकाय के अभिमतानुसार – ATKT का उल्लेख अंकसूची में होता है, पर इसका उल्लेख उपाधि प्रमाण–पत्र में उचित प्रतीत नहीं होता है, अतः प्रकरण को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

06. श्री गोबिंदराम शदाणी शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर के नाम संशोधन के संबंध में विचार करना।

टीपः संत गोबिंदराम शदाणी, शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर का पत्र क्र. 63/2025 रायपुर दिनांक 23.04.2025 में संलग्न आयुक्त उच्च शिक्षा, ब्लॉक सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर का पत्र क्र. 232/517/आउशि/सम./2024 दिनांक 28.03.2024 के द्वारा महाविद्यालय के नाम में निम्नानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है –

वर्तमान नाम	संशोधन पश्चात् परिवर्तित नाम
श्री गोबिंदराम शदाणी शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर	संत गोबिंदराम शदाणी, शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर

उपरोक्तानुसार महाविद्यालय के नाम में संशोधन हेतु विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

07. **शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला में प्रारंभ होने वाले एम.ए. योग 30 सीट के लिए ट्यूशन फीस 15,000/– (रुपए पंद्रह हजार मात्र) प्रति सेमेस्टर के स्थान पर प्रतिवर्ष किये जाने के संबंध में विचार करना।**

टीपः विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.04.2025 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.04.2025 के निर्णयानुसार शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला में प्रारंभ होने वाले एम.ए. योग 30 सीट के लिए ट्यूशन फीस 15,000/– (रुपए पंद्रह हजार मात्र) प्रति सेमेस्टर निर्धारित किया गया है।

उक्त निर्णय में आंशिक संशोधन शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला में प्रारंभ होने वाले एम.ए. योग 30 सीट के लिए ट्यूशन फीस 15,000/– (रुपए पंद्रह हजार मात्र) प्रति सेमेस्टर के स्थान पर प्रतिवर्ष किये जाने हेतु विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

08. **शांत्रीबाई कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालय, महासमुंद में संचालित B.C.A. की कक्षा को असम्बद्ध करने के संबंध में विचार करना।**

टीपः शांत्रीबाई कला, वाणिज्य, विज्ञान महाविद्यालय, महासमुंद का पत्र क्र. 6955 दिनांक 18.03.2025 के द्वारा संचालित B.C.A. की मान्यता समाप्त किए जाने व वार्षिक सम्बद्धता आदेश सत्र 2023–24 एवं 2024–25 जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

परीक्षा विभाग द्वारा उक्त पाठ्यक्रम में महाविद्यालय में सत्र 2023–24 एवं 2024–25 में B.C.A. कक्षा में विश्वविद्यालय रिकार्ड (T.R.) के अनुसार किसी भी छात्र ने परीक्षा में सम्मिलित/उपस्थित नहीं होने की जानकारी दी गई है।

परिनियम 27 के कंडिका (9) में उल्लेख है –

9. If, for any reason, a College is unable to impart instruction for two years in any subject for which it is granted affiliation, such affiliation shall be regarded as having lapsed.

उक्त कंडिका को ध्यान में रखते हुए B.C.A. पाठ्यक्रम को असम्बद्ध करने हेतु माननीय विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

09. **परिनियम 27 में आवश्यक संशोधन किए जाने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 14.05.2025 के कार्यवृत्त की अनुशंसा के संबंध में विचार करना।**

टीपः विश्वविद्यालय परिनियम 27 में आवश्यक संशोधन किए जाने हेतु गठित समिति की द्वितीय बैठक बुधवार दिनांक 14.05.2025 में परिनियम 27 की कंडिका 4(3) एवं 8(3)(i) में निम्नानुसार संशोधन किए जाने का अनुशंसा किया गया –

वि.वि. परिनियम क्रमांक		वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन	औचित्य
27	4(3)	The application shall be made to the Registrar on or before the 31st December, of the year preceding the academic year from which the extension is sought and shall be accompanied by a fee of Rs. 8000/- which shall not be refunded.	The application shall be made to the Registrar on or before the 31st December, of the year preceding the academic year from which the extension is sought and shall be accompanied by a fee of Govt. Colleges* Rs. 800/- and Non-Government Colleges Rs. 8000/- and **Government GST rule/rate implemented time to time will applicable,** which shall not be refunded.	कार्यालय सहायक आयुक्त राज्य कर, वृत्त–एक, रायपुर पत्र क्र. /स.अ./राक/रा–एक/प्रवर्तन–अन्य/2/2024–25/2873 दिनांक 21.10.2024 द्वारा महाविद्यालयों पर अधिरोपित जी.एस.टी.

	8(3) (i)	Every College or institution admitted to the privileges of the University shall pay to the University each year by the 31st July an annual affiliation fee at the rates mentioned below:-	Every College or institution admitted to the privileges of the University shall pay to the University each year by the 31st July an annual affiliation fee at the rates and **Government GST rule/rate implemented time to time will applicable is** mentioned below:-	शुल्क लागू किए जाने के कारण परिनियम में संशोधन आवश्यक है।

<u>अन्य अभिमत</u> –

उच्च शिक्षा विभाग को विश्वविद्यालय द्वारा शासकीय महाविद्यालयों से लिए जाने वाले सम्बद्धता शुल्क में वृद्धि के संबंध में पत्र प्रेषित किए जाने हेतु अनुशंसा की गई।

10. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 210 के अनुक्रम में निर्मित विनियम 221 Four Year Undergraduate Programme (FYUP) (With Choice Based Credit System and Multiple Entry and Exit Options as per NEP 2020) (Under Ordinance No. 210) में उल्लेखित प्रावधानों में संशोधन हेतु गठित समिति की अनुशंसा एवं Challenge Evaluation fee के संबंध में विचार करना।**

टीप: (1) राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विश्वविद्यालय अध्यादेश क्रमांक 210 के अनुक्रम में विनियम 221 Four Year Undergraduate Programme (FYUP) (With Choice Based Credit System and Multiple Entry and Exit Options as per NEP 2020) (Under Ordinance No. 210) में उल्लेखित प्रावधानों में संशोधन हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 29.05.2025 की अनुशंसा निम्नानुसार है –

Regulation No.		Current provisions	Proposed Provisions	**Reason**
221	10.11	Completion of Continuous Internal Assessment (CIA) is compulsory for appearing in End Semester Examination (ESE)	Delete	contrary to ordinance 210 Clause 8.5 hence to be deleted
	12.10	Not exist	Students who appear for any examination for the first time shall be called "Regular" and students who appear to clear backlog paper shall be called "ATKT'	to define status of student
	12.11	Not exist	There shall be one grace mark for student who need one mark to pass the examination	Ordinance 210 Clause 8.7 there shall be provision of grace markto enable the candidate to pass the examination as notify

				by the University through regulation
	12.12	Not exist	There shall be provision for retotaling as per University rules	Ordinance 210 Clause 13.2 there shall be no provision for revaluation. However retotaling is permissible as per University rule.

उपरोक्त विनियम क्रमांक 221 के संशोधन के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।

(2) Challenge Evaluation fee के निर्धारण के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत।

11. **महाविद्यालय हेतु निर्मित निरीक्षण समिति प्रतिवेदन को संशोधन करने हेतु गठित समिति द्वारा किये गए संशोधन की अनुशंसा करना।**

टीप: विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 03.08.2023 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय क्र. 01 में लिए गए निर्णयानुसार महाविद्यालय हेतु निर्मित निरीक्षण समिति प्रतिवेदन को संशोधन करने हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्तुत संशोधित निरीक्षण प्रतिवेदन विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है। (संशोधित निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है।)

12. **स्पेक्ट्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नरदहा, रायपुर को नवीन संकाय अंतर्गत बी.कॉम.–40 सीट एवं डी.सी.ए.–40 सीट सत्र 2022–23 के स्थान पर संशोधित कर शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए सम्बद्धता प्रदान किये जाने के संबंध में विचार करना।**

टीप: विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 22.10.2024 की कंडिका–11 में लिए गए निर्णयानुसार महाविद्यालय को बी.कॉम.–40 सीट एवं डी.सी.ए.–40 सीट की शासन से मान्यता आदेश पत्र सत्र 2022–23 के स्थान पर वर्तमान सत्र के लिए संशोधित आदेश के साथ प्रस्तुत किए जाने हेतु इस विभाग से पत्र क्रमांक 791/अका./2025 रायपुर, दिनांक 23/04/2025 प्रेषित किया गया था।

उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालय पत्र SPEC/B.Ed./2025/29, Date 30.04.2025 एवं छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर का पत्र क्रमांक एफ 17–19/2022/38–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 24/04/2025 प्रेषित किया गया है, जिसमें महाविद्यालय को नवीन संकाय अंतर्गत बी.कॉम.–40 सीट एवं डी.सी.ए.–40 सीट प्रारंभ करने के आदेश को शैक्षणिक सत्र 2022–23 के लिए मान्य होने के स्थान पर संशोधित कर शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिए मान्य किया गया है।

महाविद्यालय का प्रथम निरीक्षण प्रतिवेदन (सत्र संशोधन) निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
i.	स्पेक्ट्रम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नरदहा, रायपुर	B.Com. (C.A.)-I	40	2025–26	1. डॉ. संजय कुमार, कम्प्यूटर अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. विजय अग्रवाल, शास. जे. योग. छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर 3. डॉ. अनिल तिवारी, दिशा कॉलेज, रामनगर, रायपुर
		D.C.A.	40		

निरीक्षण तिथि : 21.08.2024

1. समिति/संस्था के पंजीयन की वैधता – **वैध है।**
2. समिति के नाम अविवादित स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि – **5.37 एकड़**
3. इंडोमेंट फंड में जमा की गई राशि – **20 लाख (15 लाख का नवीनीकरण करवाना है।)**
4. शासी निकाय के अध्यक्ष/सचिव के कार्यकाल की अंतिम वैधता तिथि – **2024 तक**
5. महाविद्यालय स्वयं के भवन में संचालित है अथवा नहीं – **स्वयं का भवन है।**
6. महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता – **उपलब्ध है।**
7. यदि प्रस्तावित पाठ्यक्रम में प्रायोगिक विषय शामिल हो तो प्रयोगशाला हेतु कक्षों की उपलब्धता – **उपलब्ध है।**
8. प्रयोगशाला हेतु उपकरणों की उपलब्धता – **कम से कम 10 नये Configuration के Computer और Licensed Software क्रय करने की आवश्यकता है।**
9. प्रस्तावित पाठ्यक्रम के लिए विषयवार शिक्षकों की पर्याप्तता/आवश्यकता – **परिनियम 28 में वाणिज्य और कंप्यूटर विषय के शिक्षकों की नियुक्त करने की आवश्यकता हैं**
10. ग्रंथपाल एवं ग्रंथालय में प्रस्तावित पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकों की उपलब्धता/आवश्यकता – **ग्रंथपाल है। पुस्तक पाठ्यक्रम के अनुसार क्रय करने की आवश्यकता है।**
11. महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएँ – **खेलकूद का मैदान, Wi-Fi की सुविधा है।**
12. यदि द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं की संबद्धता निरीक्षण हो तो पूर्व में निरीक्षण समिति द्वारा बताई गई कमियों एवं दिए गए सुझावों कि क्या सभी शर्तें पूर्ण कर ली गई है ? – --
13. अन्य कोई महत्वपूर्ण तथ्य जो निरीक्षण समिति उल्लेखित करना चाहें – ––
14. कृपया उन कमियों का स्पष्ट उल्लेख करें जिन्हें संबद्धता प्रदान किए जाने की स्थिति में शर्त के रूप में मान्य किया जा सके –
    - i. **कंप्यूटर एवं वाणिज्य विषय में परिनियम 28 में 2–2 शिक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता है।**
    - ii. **पुस्तकालय में पाठ्यक्रम के अनुसार छात्र संख्या के अनुपात में पुस्तक क्रय करने की आवश्यकता है।**
    - iii. **नवीन Configuration के 10 Computer क्रय करनी की आवश्यकता है।**
    - iv. **पाठ्यक्रम के अनुसार Licensed Software क्रय करने की आवश्यकता है।**

13. निम्नलिखित संकायांतर्गत अध्ययन मण्डल की बैठकों के कार्यवृत्त की अनुशंसा करना –

क्रमांक	अध्ययन मण्डल		बैठक की तिथि
[1]	**विज्ञान संकाय –**		
1	भौतिकी	–	19.05.2025
2	रसायन	–	15.05.2025
3	इलेक्ट्रॉनिक्स	–	19.05.2025
4	गणित	–	23.05.2025
5	सांख्यिकी	–	16.05.2025
6	भू–विज्ञान	–	15.05.2025
7	फोरेंसिक साइंस (तदर्थ)		19.05.2025
8	संयुक्त बैठक (इलेक्ट्रानिक्स एवं भौतिकी)		19.05.2025
[2]	**जीव विज्ञान संकाय –**		
9	बायोटेक्नोलॉजी	–	21.05.2025
10	जैविकी	–	23.05.2025
11	वनस्पतिशास्त्र	–	23.05.2025
12	प्राणीशास्त्र	–	23.05.2025
13	बायोकेमेस्ट्री	–	23.05.2025
14	माइक्रोबायोलॉजी	–	23.05.2025
15	मानवविज्ञान	–	20.05.2025
16	बी.वॉक. (तदर्थ)		16.05.2025

[3]	**कला संकाय –**		
17	दर्शनशास्त्र	–	20.05.2025
18	ग्रथालय एवं सूचना विज्ञान	–	15.05.2025
19	संस्कृत	–	16.05.2025
20	प्राच्य संस्कृत	–	16.05.2025
21	हिन्दी	–	17.05.2025
22	अंग्रेजी	–	17.05.2025
23	भाषाविज्ञान	–	15.05.2025
[4]	**सामाजिक विज्ञान संकाय –**		
24	राजनीति विज्ञान	–	19.05.2025
25	इतिहास	–	15.05.2025
26	अर्थशास्त्र	–	15.05.2025
27	प्रा.भा.इतिहास	–	15.05.2025
28	समाजशास्त्र	–	16.05.2025
29	मनोविज्ञान	–	16.05.2025
30	भूगोल	–	16.05.2025
31	क्षेत्रीय अध्ययन (तदर्थ)		16.05.2025
32	महिला अध्ययन केंद्र		17.05.2025
[5]	**विधि संकाय –**		
33	विधि	–	19.05.2025
[6]	**शारीरिक शिक्षा संकाय –**		
34	शारीरिक शिक्षा	–	16.05.2025
[7]	**प्रबंध संकाय –**		
35	प्रबंध	–	16.05.2025
[8]	**गृह–विज्ञान संकाय –**		
36	गृहविज्ञान	–	20.05.2025
[9]	**शिक्षा संकाय –**		
37	शिक्षा	–	16.05.2025
[10]	**टेक्नालॉजी संकाय –**		
38	फार्मेसी	–	16.05.2025
[11]	**वाणिज्य संकाय –**		
39	वाणिज्य	–	16.05.2025
[12]	**इंफर्मेशन टेक्नालॉजी संकाय –**		
	संगणक विज्ञान		05.05.2025

14. **अध्यादेश क्रमांक 09 The Conditions of the Award of fellowships and Schollarship में संशोधन किये जाने पर विचार करना।**

15. **जैविकी अध्ययनशाला में एम.एस–सी. बायोसाइंस पाठ्यक्रम में 04 पेमेंट सीट सत्र 2025–26 से प्रवेश दिये जाने के संबंध में विचार करना।**

टीप : वर्तमान में 16 सीट (16 normal seats) स्वीकृत है। वर्तमान में छात्रों में पाठ्यक्रम की माँग अधिक है। अतः छात्रहित को ध्यान में रखते हुए एम.एस–सी. बायोसाइंस पाठ्यक्रम में 04 पेमेंट सीट (प्रवेश शुल्क 15,000/– प्रतिवर्ष) सत्र 2025–26 से प्रवेश किए जाने हेतु विद्यापरिषद् की स्थायी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

16. सत्र 2025–26 से नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु सीट एवं शुल्क के संबंध में विचार करना।

S.N.	NAME OF COURSE	Name of the Department where the course is to be conducted	NO. OF SEAT
1	**M.A. in Tribal Studies & indian knoWledge system**	**Centre for Indian Knowledge System**	**20**
2	**M.A. in Women and Gender Studies**	**Centre for Women Studies**	**20**
3	**M.A in Yoga**	**SoS in Physical Education**	**30**
4	**M.Sc. Data Science**	**Sos in Statistics**	**15**
5	**Diploma in Sanskrit**	**Centre for Indian Knowledge System**	**20**
6	**One Year Diploma in Artificial Intelligence**	**SoS in Computer Science**	**20**
7	**B.Com-M.Com (5year Integrated Program)**	**Institue of Management**	**30**

17. **रामकृष्ण ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा संचालित रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, सुंदर नगर, रायपुर में 2025–26 में बी.एड्. नवीन छात्रों को प्रवेश नहीं दिये जाने के संबंध में सूचना ग्रहण करना।**

टीप : रामकृष्ण ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा संचालित रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, खसरा नं.–545, सुंदर नगर रायपुर को National Council for Teacher Education (NCTE) के आदेश क्र. WRC/APW05504/723120/B.Ed.2015/142229-236 date-31-05-2015 के तहत बी.एड्. 100 सीट प्रदान की गई थी। एन.सी.टी.ई. के आदेश File No. NCTE/2025/WRC/PAR/ ORDER/APW05504/723120, दिनांक 14.05.2025 द्वारा सत्र 2025–26 से बी.एड्. में नवीन छात्रों को प्रवेश प्रदान नहीं किये जाने का आदेश जारी किया गया है।

18. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।**

05/6/25
कुलसचिव